

उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

ललिता देवी आदि

वनाम

रामधन आदि

हवा

मु. नं. 33/2017

21/10/19 वकील वादिना डप. प्रतिवादीगण छ 3 माउ
पर विधिवत तामील हो चुकी है। कोर्ट
वाक्य तामील अनुपस्थित रहने पर उनके
रिजलफ एकपक्षीय कर्मचारी कमल में
लगाई गयी है। पत्रावली वाक्य चेक
होने तलवी जति. छ 1, 2 व 8 कावपछ
लय छ दिनांक 24/11/19 को पेश हो

P.Y

22/11

पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है

P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/

यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व

आदेशानुसार दिनांक 24/11/2019 को पेश हो

24/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिना डप. प्रतिवादी
वाक्य चेक होने तलवी जति. छ 1, 2 व 8 डि. छ
10/11/20 को पेश हो

P.Y

10/11/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिना डप. प्रतिवादी
वाक्य तलवी जति. छ 13/11/20 को पेश हो

P.Y

13/2/2020

पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है

P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/

यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व

आदेशानुसार दिनांक 19/2/2020 को पेश हो

19/2/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण व वादीगण
में से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय
में वकील वादीगण व वादीगण को बार-बार
आवाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित
नहीं। न्यायालय समय में दोपहर उबजे
वकील वादीगण व वादीगण को बार-बार
आवाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित



अभिभाषक संघ, सीकर

P.Y
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

नहीं। न्यायालय समय में सम्पर्काल न्यायालय समक्ष
समाप्ति से पूर्व पुनः वकील वादीगण व वादीगण
को बार-बार आवाज लगवाई गई। कोई
उपस्थित नहीं। अतः वकील वादीगण व
वादीगण स्वयं को बार-बार आवाज लगवाने
पर भी अनुपस्थित रहने पर कणवली इसी
स्तर पर अकर्म पैरवी। अदम हाजिरी में
खारिज की जाती है। कणवली के लल्लुगण
होकर बाद तत्कालीन दायित्व दायर है।



Riy
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

